झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—465/2016— .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **रैसा वीयर योजना के ERM कार्य के लिये रू० 659.724 लाख (रूपये छः करोड़ उन्सठ लाख बहत्तर हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन रैसा वीयर योजना राँची जिले के बुण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम— जरिया के निकट रैसा नदी पर निर्मित रैसा सिंचाई योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू० 659.724 लाख (रूपये छः करोड़ उन्सठ लाख बहत्तर हजार चार सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. वीयर से एक मात्र दांयी मुख्य नहर निकलती है जिसकी कुल लम्बाई 4.78 कि०मी० तथा जलस्त्राव 20.00 क्युसेक्स (0.57 क्यूमेक्स) है। इस योजना का जी०सी०ए० 650 हे० तथा सिंचाई क्षमता 480 हे० है।

4. योजना के मुख्य नहर एवं जलवाहों के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण तथा इसे सेक्सन में लाकर योजना के नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुँचा कर क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना के ERM कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस ERM कार्य के लिये निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं—
   - (i) मुख्य नहर का आवश्यक मिट्टी कार्य एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य, संरचनाओं की मरम्मति का कार्य।
   - (ii) सभी जलवाहों को सेक्सन में लाने के लिये मिट्टी कार्य एवं संरचना मरम्मति कार्य।
   - (iii) सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा यांत्रिक कार्य का दिया गया प्राक्कलन (कि०मी० 1.809 पर L/S एवं R/S में H/R, कि०मी० 3.075 पर H/R, कि०मी० 4.780 पर H/R) रू० 34,08,930.00 भी इस ERM प्राक्कलन के साथ समाविष्ट है।

5. प्रस्तावित पुनरूद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् नहरों में अन्तिम छोर तक जल प्रवाह होगा। इस ERM कार्य को कराने के पश्चात् 62 हे० खरीफ सिंचाई पुनर्बहाल होगा तथा लाईनिंग होने से दलहन एवं सब्जियों की खेती का क्षेत्र बढ़ेगा तथा लगभग 40 हे० सिंचाई क्षमता में वृद्धि संभावित है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सिविल कार्यों के लिये कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु एवं यांत्रिक कार्यो के लिये कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा। यॉत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, राँची होंगे। यांत्रिक कार्यों के सही होने की सहमति कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक से प्राप्त की जायेगी।

7. योजना का कार्य को 15 (पन्द्रह) महीने की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ कर जून 2018 के पूर्व पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

8. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) माँग संख्या– '49'– जल संसाधन, मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य,

(ii) माँग संख्या– '49'– जल संसाधन, मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 9000.00 लाख

b. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 7000.00 लाख

10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. योजना के मुख्य नहर के लाईनिंग सहित ERM कार्य का Incidence of Cost रू० 1,37,442 प्रति हेक्टेयर आता है।

12. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी राँची कोषागार, कचहरी, राँची से की जायेगी।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–465/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–465/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, कचहरी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–465/2016– 71/16-17 प्र.सं. /राँची, दिनांक 20.12.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/16
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
20/12/16